



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16102025-266955
CG-DL-W-16102025-266955

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, अक्टूबर 5—अक्टूबर 11, 2025, शनिवार/ आश्विन 13—आश्विन 19, 1947
No. 36] NEW DELHI, OCTOBER 5—OCTOBER 11, 2025, SATURDAY/ASVINA 13—ASVINA 19, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2025

सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (विधि सलाहकार और अभियोजक) भर्ती नियम, 2013 को, जहाँ तक उनका संबंध ज्येष्ठ लोक अभियोजक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, के अधीन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में, ज्येष्ठ लोक अभियोजक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (ज्येष्ठ लोक अभियोजक) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ लोक अभियोजक।	80* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67,700-208700 रु.)	चयन पद।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 10 (56100 - 177500 रु.) में ऐसे लोक अभियोजक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और उच्चतर पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्यक्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण:- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - अध्यक्ष। 2. अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य। 3. अपर सचिव (सतर्कता) या संयुक्त सचिव (सतर्कता), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य। 4. अभियोजन निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 213/13/2024-ए.वी.डी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Departmental of Personnel and Training)**

New Delhi, the 6th October, 2025

G.S.R. 165.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Investigation (Legal Advisers and Prosecutors) Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Senior Public Prosecutor, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Public Prosecutor, in the Central Bureau of Investigation under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Senior Public Prosecutor) Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number, classification and level in pay - matrix.**- The number of the said posts, their classification and level in the pay - matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.**- The method of recruitment, age - limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,

(a) who has entered into or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.6. **Saving.-** Nothing in this rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection Post or non-selection Post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Public Prosecutor.	80* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700 – 208700).	Selection post.

Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Public Prosecutor in level 10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500) with five years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in area of work related to duties and responsibilities of the higher post. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) consisting of :- 1. Director, Central Bureau of Investigation – Chairperson; 2. Additional Director or Joint Director, Central Bureau of Investigation – Member; 3. Additional Secretary (Vigilance) or Joint Secretary (Vigilance), Department of	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Personnel & Training – Member; 4. Director of Prosecution, Central Bureau of Investigation – Member.	
--	---	--

[F. No. 213/13/2024-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तकनीकी सलाहकार एकक (विदेशी मुद्रा या विदेशी व्यापार) समूह 'क' एवं समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 में, जहां तक इसका संबंध उप-सलाहकार (विदेशी व्यापार या विदेशी मुद्रा) के पद से हैं, को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप सलाहकार (विदेशी मुद्रा या विदेशी व्यापार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, उप सलाहकार (विदेशी मुद्रा या विदेशी व्यापार), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति -** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप सलाहकार (विदेशी मुद्रा या विदेशी व्यापार)	*01 (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100-17750 रु.)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्प-कालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या सरकारी वित्तीय संस्थाओं जिसके अंतर्गत आर. बी . आई ., राष्ट्रिय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी है पब्लिक सेक्टर वित्तीय संस्थाओं (जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर के बैंक भी हैं) के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल कॉडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रु.) में स्तर-9 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; या	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(iii) जिन्होंने मूल कॉडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) में स्तर-8 या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :- आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री । (ii) विदेशी व्यापार या विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में निरीक्षण या सतर्कता या परिचालन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री; या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेड संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर में नामांकन के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कराधान विधि में डिप्लोमा । या विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय कारबार में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक वर्ष की अवधि का स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कॉडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा. सं. 213/3/2023-ए.वी.डी-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

New Delhi, the 6th October, 2025

G.S.R. 166.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation, Technical Advisory Unit (Foreign Exchange or Foreign Trade), Group 'A' and Group 'B' Posts, Recruitment Rules, 2013, in so far as it relates to the post of Deputy Advisor (Foreign Exchange or Foreign Trade) except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Advisor (Foreign Exchange or Foreign Trade) in the Central Bureau of Investigation in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, namely:-

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation, Deputy Advisor (Foreign Exchange or Foreign Trade) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix**— The number of the post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.** — No person, -
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.
5. **Power to relax .**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to such class or category of persons.
6. **Saving .**— Nothing in this rules shall affect reservation & relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classifications.	Pay level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection- post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Advisor (Foreign Exchange or Foreign Trade)	*01 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 in the pay matrix (₹56100-177500)	Not applicable.

Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission, to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract) Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Government financial Institutions including Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Small Industries Development Bank of India or public sector financial institutions (including public sector banks) :	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level- 9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience. Essential: (i) Bachelor's degree from a recognised university or institute. (ii) three years' experience of inspection or vigilance or operational work in the field of Foreign Trade or Foreign Exchange. Desirable: - Bachelor's degree in Law from a recognised university or institute; or A qualification recognised for enrollment in the register of members of the institute of Chartered Accountants of India; or Diploma in Taxation Laws from a recognised university or institute; or Post Graduate degree or diploma from a recognised university or institute of one year's duration in foreign trade or international business. Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. 213/3/2023-AVD-II]

SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 167.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कोयला विभाग (सवार हरकारा) भर्ती नियम, 1982 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कोयला मंत्रालय में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला मंत्रालय, सवार हरकारा, भर्ती नियम, 2025 है।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं.- आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति:-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन पद या अचयन पद।
	1.	2.	3.	4.	5.
	सवार हरकारा	01*,(2025) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा (समूह 'ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19,900- 63,200)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और अन्य अर्हताएं अपेक्षित हैं या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
6.	7.	8.	9.
18 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा(समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और	आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या मैट्रिकुलेशन या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र या समतुल्य	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम. मेघालय. अरुणाचल प्रदेश. मिजोरम. मणिपर. नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले का पांगी उपखंड तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	उत्तीर्ण। 2. मोटर साइकिल / ऑटो रिक्शा / मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति हो। 3. मोटर साइकिल / ऑटो रिक्शा / मोटर (सीएसआर) चलाने में दो वर्ष का अनुभव; 4. मोटर साइकिल / ऑटो रिक्शा / मोटर कार कार्यतंत्र का ज्ञान और अभ्यर्थी को यान में छोटी-मोटी खराबी को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। और; 5. अंग्रेजी. हिंदी/जिस क्षेत्र में संबंधित संगठन स्थित है, वहां की प्रादेशिक भाषाएं पढ़ने की क्षमता। वांछनीय: होम गार्ड या सिविल रक्षा स्वयं सेवक या बहुकार्य कर्मचारिवृंद के रूप में तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् विहित व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो वाणिज्यिक स्कूटर या ऑटो रिक्शा या मोटर कार के चालकों में आवश्यक मानी जाने वाली सक्षमता के मानकों के संदर्भ में पद के लिए उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टिप्पण: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		
---	---	--	--

भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, श्रेणी जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति या आमेलन: कोयला मंत्रालय में नियमित बहकार्य कर्मचारिवृंद (समह 'ग') में से. जिनके पास मोटर साइकिल या ऑटो-रिक्शा के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञाप्ति हो, जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा या बहकार्य कर्मचारिवृंद का पद धारण करने वाले अधिकारी. जो स्तंभ (7) में यथा-उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों।	समह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: (i) निदेशक या उप सचिव. कोयला मंत्रालय - अध्यक्ष; (ii) अवर सचिव. कोयला मंत्रालय - सदस्य और	लागू नहीं होता।

	भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन। सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा। जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाता है; तत्पश्चातक उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। टिप्पण-1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(iii) अवर सचिव. कोयला मंत्रालय- सदस्य।	
--	---	---	--

[फा. सं. ए-12018/01/2016-स्थापना]

संजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 6th October, 2025

G.S.R. 167.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Coal (Despatch Rider) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Despatch Rider in the Ministry of Coal, namely:-

2. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Coal, Despatch Rider, Recruitment Rules, 2025.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.-The number of the said post, its classification, and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, and qualifications, etc.-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation to this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class, the Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of the post	No. of Post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post of non-selection post
	1.	2.	3.	4.	5.
	Despatch Rider	01*,(2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service(Group 'C') Non-Gazetted Non-Ministerial	Pay Level-2 in the pay matrix (19,900-63,200)	Non applicable

Age limit for Direct Recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and other qualifications required for direct recruits	Period of probation, if any
6.	7.	8.	9.
Between 18 and 25 years of age (Relaxable for Departmental candidates upto the age of forty years in the case of General candidates and upto forty-five years in case of candidates belonging to Schedule Caste and Schedule Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territory of Ladakh, Andaman & Nicobar	Essential: 10th class pass or Matriculation or Certificate from Industrial training Institute or equivalent pass from a recognised Board or University. - Possession of a valid driving license for motor cycle/auto rickshaw/motor car. - Two years experience in driving motor cycle/auto rickshaw/motor car; - Knowledge of motor cycle/auto rickshaw/motor car mechanism and the candidate should be able to remove minor defect in vehicle and; - Ability to read English, Hindi/regional languages of the area in which the concerned Organisation is situated.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed

Islands and Lakshadweep.	Desirable: Three years' service as Home Guard or civil Volunteer or Multi Tasking Staff should qualify the prescribed Trade Test designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of commercial Scooter or auto rickshaw or motor car. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging scheduled castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--------------------------	---	--	--

Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of Recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
10	11	12	13
Deputation or absorption failing which by Direct Recruitment For Ex- servicemen: Deputation or re-employment	Deputation or Absorption: From amongst the regular Multi Tasking Staff (Group 'C') in the Ministry of Coal who possess a valid driving license for motor cycle or auto-rickshaw' failing which from officials holding the post of Despatch Riders or Multi Tasking Staff on regular basis in other Ministries of Central Government	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (i) Director or Deputy Secretary, Ministry of Coal - Chairman;	Not applicable

	who fulfil the necessary qualifications as mentioned in Column (7). For Ex-servicemen: Deputation or re-employment. The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note-1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-2:- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	(ii) Under Secretary, Ministry of Coal - Member and (iii) Under Secretary, Ministry of Coal - Member.	
--	--	---	--

[F. No. A-12018/01/2016-Estt]

SANJEEV RANJAN, Under Secy.